न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 600/2026

जी.बी. नगर थाना कांड सं0–267/2024 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–147, 149, 341, 323, 342, 379, 307, 504, 386, 506 भा.द.वि.

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–438 दं.प्र.सं.)

रितिक सिंह ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः– श्री संगीता सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

07.04.2026

आवेदक/अभियुक्त रितिक सिंह की ओर से जी.बी. नगर थाना कांड संख्या 267/2024, अंतर्गत धारा–147, 149, 341, 323, 342, 379, 307, 504, 386, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक छठू कुमार के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 30.05.2024 को समय करीब नौ बजे जब तरवारा बाजार के बसंतपुर रोड स्थित अपना होटल चला रहा था तभी गोविंदा साह, सुजित यादव, संजय यादव, उपेंद्र सिंह, ओमप्रकाश साह, मुकेश कुमार गोड़, अवधेश साह, अरविंद सिंह, मनोज यादव, सोनू यादव, संदीप साह, विकास कुमार, रितिक कुमार, पशुराम साह, राकेश साह, लालदीप कुमार, अपने तीस–चालीस अज्ञात साथियों के साथ एक साथ होकर अपने–अपने हाथों में परंपरागत हथियार लाठी, डंडा, फरसा, गड़ास, हॉकी, स्टील से तलवार चाकू, पिस्टल से लैश होकर सूचक के दुकान पर करीब आधा दर्जन टेम्पू एवं दर्जन बाईक पर सवार होकर आ धमके और सूचक के दुकान में लूटपाट करते हुए उसे बंदी बना लिये। लूटपाट के दौरान उसके गल्ला में रखा बिक्री का एवं पूर्व के बिक्री का पच्चीस हजार रूपया गोविंदा साह, सुजीत यादव एवं संदीप साह ने लूट लिया तथा उसके गला से सोने का चेन कीमत करीब नब्बे हजार का अवधेश साह ने छीन लिया और फिरौती मांगने की नियत से अभियुक्तगण उसका अपहरण करके अपने साथ तरवारा से उडियान टोला लेकर चले गये। जहॉ पर पुलिस पहुॅचकर उसे मुक्त करवाया गया। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुॅचती तो अभियुक्तगण उसकी हत्या कर देते। उक्त घटना के बाद पुलिस ने मुक्त करा कर इलाज हेतु सदर अस्पताल लेकर गई जहॉ सूचक का इलाज हुआ। पूर्व में भी सूचक से मौखिक रूप से अवधेश साह, गोविंदा साह, सुजित यादव ने रंगदारी में दो लाख रूपये की मांग किये थे और नहीं देने पर अंजाम भूगतने की धमकी दिये, जिसको लेकर रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर इस घटना को अंजाम दिया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि

लगातार

07.04.2026

आवेदक/अभियुक्त रितिक सिंह निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध तीन आपराधिक मुकद्मा दर्ज है जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि सह अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है तथा आवेदक/अभियुक्त का भी अपराध समान प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा लाठी, डंडा, फरसा, गड़ास, हॉकी, स्टील से तलवार चाकू, पिस्टल से लैश होकर सूचक के दुकान पर हमला कर बिक्री का पच्चीस हजार रूपया लूटकर ले जान तथा सूचक के गले में पहना हुआ सोने का चेन लेने एवं फिरौती के लिए अपहरण करने का अभियोग है। अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद जी.बी. नगर थाना कांड संख्या 267/2024, अंतर्गत धारा–147, 149, 341, 323, 342, 379, 307, 504, 386, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के दुकान पर हरवे हथियार से लैश होकर हमला कर बिक्री का 25 हजार रूपया लूटकर ले जाने, गला से सोने का चेन लेने एवं फिरौती के लिए अपहरण करने का आरोप है। अभिलेख एवं कांड दैनिकी से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त पर सूचक को मारपीट करने अथवा उसके दूकान से रूपया अथवा गला से सोने का चैन लेने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि इसके विरूद्ध लगाया गया आरोप सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप है। कांड दैनिकी में जख्मी के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि इस मामले के सह अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन 2491/2024, 1573/2024, 1341/2024, नियमित जमानत आवेदन सं. 686/2024, 550/2024 471/2024 जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, एकादश, सीवान एवं नियमित जमानत आवेदन सं0 528/2025 इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त रितिक सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकारयोग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त आवेदक/अभियुक्त के द्वारा चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर या गिरफ्तारी की अवस्था में

लगातार

07.04.2026

इनकी ओर से विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो0 20,000/—(बीस हजार) रूपये के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त धारा 441(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के शर्तों के अनुपालन हेतु शपथ पत्र से समर्थित उद्घोषण पत्र दाखिल करेंगे एवं दौरान अनुसंधान/विचारण स्वयं को पुलिस/न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे। दोनों प्रतिभू में से एक प्रतिभू आवेदक/अभियुक्त के निकट संबंधी होंगे। बंधपत्र दाखिल करते समय आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

लेखापित
ह0/—
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सिवान।